प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.08.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा ग्राम नाहल में हुयी सिपाही हत्या मामले से सम्बन्धित 23 अभियुक्तों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही।

दिनांक 26.05.25 को थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाहल मे हुयी पुलिस सिपाही की हत्या की घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0-152/25 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/131/ 125/ 121(2) / 132/ 109(1)/ 103(1)/ 61(2) /50/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें घटना में सम्मलित 23 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया व घटना से सम्बन्धित 23 अभियुक्तों के विरूद्व थाना मसूरी पर दिनांक 24.08.2025 को मु0अ0स0- 274/25 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् है -

1-कादिर पुत्र खुर्शेद उर्फ खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

2-अब्दुल सलाम पुत्र अबरार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

3-अब्दुल खालिक पुत्र महमूद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाज़ियाबाद उम्र 20 वर्ष

4-मुरसलीम पुत्र हसरत निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

5- मुसाहिद पुत्र मेहराज निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

6- नन्नू पुत्र इलियास निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

7- दानिश पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

8-इमरान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

9-महताब पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

10-अब्दुल रहमान पुत्र मुजम्मिल निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

11- हसीन पुत्र युनुस निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

12- जावेद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

13- मुरसलीन पुत्र चाँद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

14- इनाम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

15-महताब पुत्र वहाब निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

16- जावेद पुत्र अब्बास निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

17-आबिद उर्फ बिलोरी पुत्र यामीन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

18-आमिर उर्फ मीर हसन पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

19-महराज पुत्र जमशेद निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

20-खुर्शैद पुत्र इंसाल्लाह निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष

21-राहत पुत्र अबरार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

22-साजिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

23- कमरेआलम पुत्र बिलाल निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध 2/3 गिरोहबन्द अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये 02 दिवसीय अभियान के दौरान सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों मे संलिप्त 6365 अपराधियों का सत्यापन तथा 180 वारण्टी एवं 22 वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद मे अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विगत 10 वर्षो मे सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों मे संलिप्त अपराधियों के सत्यापन, वारंटियों की गिरफ्तारी एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 02 दिवसीय अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए विगत 10 वर्षो मे सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों मे संलिप्त 6365 अपराधियो का भौतिक सत्यापन किया गया तथा विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालय से वारण्टों सम्बन्धित 180 अभियुक्तों तथा विभिन्न गम्भीर अपराधों में वांछित चल रहे 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपराध नियन्त्रण एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था हेतु ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

जोन	विगत 10 वर्षो मे सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों मे संलिप्त	गिरफ्तार/हाजिर वारण्टियों की संख्या	गिरफ्तार/वांछित अभियुक्तों की संख्या

	सत्यापित किये गये अभियुक्तों की संख्या		
ग्रामीण जोन	3551	94	17
नगर जोन	1300	41	1
ट्रांस हिंडन जोन	1514	45	4
कुल योग	**6365**	**180**	**22**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त राजू महतो पुत्र अशोक महतो का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 25.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजू महतो पुत्र अशोक महतो निवासी ग्राम महामनपुर बहटा जिला छपरा बिहार हाल निवासी नं0-02 गेट अगरोला ओम सांई सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी की पुत्री से बातचीत थी। एक दिन मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू महतो पुत्र अशोक महतो निवासी ग्राम महामनपुर बहटा जिला छपरा बिहार हाल निवासी नं0-02 गेट अगरोला ओम सांई सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया के देवर शिवा पर हमलावर होकर गाली गलौज करना, जान से मारने की नीयत से हमला करना व जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/131/115(2)/351(2)/352/109(1)/190/191(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चन्दू शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी अत्री की चक्की के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 01.08.2025 को मैंने व मेरे साथी एक राय होकर शिवा पर हमला करके भाग गये थे क्योंकि वहाँ पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी थी। हममें से कुछ लोगो ने शिवा पर चाकूओ से वार किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चन्दू शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी अत्री की चक्की के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 20,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 25.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 20,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त चांद कुरैशी उर्फ अरशद पुत्र रफीक निवासी मौ0 नीम वाली मस्जिद कस्बा उझारी थाना सैदनंगली जिला अमरोहा हाल पता किरायेदार जनता कॉलोनी पीली पट्टी थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त चांद कुरैशी उर्फ अरशद ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन ला भ अर्जित करने के लिये गौकशी, पशु क्रूरता जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

चांद कुरैशी उर्फ अरशद पुत्र रफीक निवासी मौ0 नीम वाली मस्जिद कस्बा उझारी थाना सैदनंगली जिला अमरोहा हाल पता किरायेदार जनता कॉलोनी पीली पट्टी थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गौवध अधिनियम का 01 अभियोग ,गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व अवैध शस्त्र बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 25.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र पुस्ता से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त शहनबाज उर्फ शानू पुत्र फखरूद्दीन निवासी मूनलाइट स्कूल के पास पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। आज मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

शहनबाज उर्फ शानू पुत्र फखरूद्दीन निवासी मूनलाइट स्कूल के पास पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शहनबाज के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 24.08.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त आले नवी पुत्र कमरुद्दी फौजी निवासी ग्राम अनूपपुर डिवाई थाना सिम्भवली जिला हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष को यूपीगेट पुल चढ़ाव एलीवेटिड रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आले नवी पुत्र कमरुद्दी फौजी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त आले नवी पुत्र कमरुद्दी फौजी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों ने गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के लिए हत्या, हत्या का प्रयास करने जैसे संगीन अपराध कारित किये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आले नवी पुत्र कमरुद्दी फौजी निवासी ग्राम अनूपपुर डिवाई थाना सिम्भवली जिला हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त आले नवी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुपालन में नगर जोन पुलिस टीम द्वारा आपराधिक सत्यापन, वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के मार्गदर्शन में 23 एवं 24 अगस्त 2025 को नगर जोन में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आपराधिक सत्यापन एवं लंबित वारंटों का निष्पादन था।

इस दो दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न थानों के क्षेत्रों में गहन चेकिंग एवं कार्यवाही की। अभियान के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे:-

- 41 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।
- 1300 से अधिक अपराधियों का सत्यापन किया गया।
- 1 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

इस पहल का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी को सुदृढ़ करना तथा वांछित अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना रहा। पुलिस आयुक्त महोदय ने फील्ड टीमों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे ताकि गाजियाबाद में शांति, कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कार्यवाही गाजियाबाद पुलिस की अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

थाना	सत्यापन किये गये अपराधियों की सं0	गिरफ्तार किये गये वारंटियों की सं0	गिरफ्तार किये गये वांछित अभियुक्तों की सं0
कोतवाली नगर	396	9	0
विजयनगर	387	5	0

सिहानी गेट	73	10	
नंदग्राम	360	5	1
कविनगर	61	5	0
मधुबन वापुधाम	23	7	0
कुल योग	**1300**	**41**	**1**

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना निवाडी पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

गिरोह सरगना बिलाल ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है व इस गिरोह द्वारा वर्ष 2024 से गौकशी व गोवंश तस्करी जैसे अपराध कारित कर धन व अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है।

गौकशी की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना निवाडी पर मु0अ0सं0 141/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कराया गया।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1. **गैंग लीडर -** बिलाल पुत्र पुत्र बरीश निवासी डासना थाना वेब सिटी, गाजिय़ाबाद उम्र करीब 20 वर्ष,

2.मोनिश पुत्र कलवा निवासी डासना थाना वेवसिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष,

3. शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र शाबू उर्फ शाहबुद्दीन निवासी पीर मौहल्ला एक मीनार मस्जिद कस्बा व थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 27 वर्ष,

4. अनस उर्फ पोपा पुत्र शाबू उर्फ शाहबूद्दीन निवासी पुरानी पैठ डासना थाना वेवसिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष,

5. कलवा पुत्र ईस्माईल निवासी डासना देवी मन्दिर के पास थाना वेवसिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष,

आपराधिक इतिहास			
क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	बिलाल पुत्र पुत्र बरीश निवासी डासना थाना वेब सिटी, गाजिय़ाबाद उम्र करीब 20 वर्ष,	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित **डी-372/2025**	03

2	मोनिश पुत्र कलवा निवासी डासना थाना वेवसिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष,	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित **डी-372/2025**	03
3	शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र शाबू उर्फ शाहबुद्दीन निवासी पीर मौहल्ला एक मीनार मस्जिद कस्बा व थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 27 वर्ष,	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित **डी-372/2025**	23
4	अनस उर्फ पोपा पुत्र शाबू उर्फ शाहबूद्दीन निवासी पुरानी पैठ डासना थाना वेवसिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित **डी-372/2025**	11
5	कलवा पुत्र ईस्माईल निवासी डासना देवी मन्दिर के पास थाना वेवसिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष,	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित **डी-372/2025**	01

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुपालन में ट्रान्स हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा आपराधिक सत्यापन, वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के मार्गदर्शन में 23 एवं 24 अगस्त 2025 को ट्रांस हिण्डन जोन में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आपराधिक सत्यापन एवं लंबित वारंटों का निष्पादन था।

इस दो दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न थानों के क्षेत्रों में गहन चेकिंग एवं कार्यवाही की। अभियान के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे:-

- 49 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।
- 1,514 से अधिक अपराधियों का सत्यापन किया गया।
- 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

इस पहल का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी को सुदृढ़ करना तथा वांछित अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना रहा। पुलिस आयुक्त महोदय ने फील्ड टीमों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे ताकि गाजियाबाद में शांति, कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कार्यवाही गाजियाबाद पुलिस की अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

थाना	**सत्यापन किये गये अपराधियों की सं0**	**गिरफ्तार किये गये वारंटियों की सं0**	**गिरफ्तार किये गये वांछित अभियुक्तों की सं0**

इन्दिरापुरम	171	10	0
खोड़ा	411	14	0
कौशाम्बी	53	4	3
साहिबाबाद	535	10	0
लिंकरोड	206	4	0
शालीमार गार्डन	18	3	0
टीलामोड़	120	4	0
कुल योग	**1514**	**49**	**3**